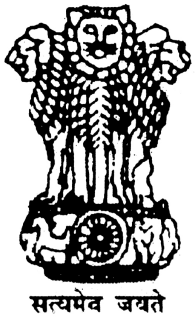

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 338 राँची, मंगलवार, 2 ज्येष्ठ, 1938 (श०) / 23 मई, 2017 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

18 मई, 2017

विषयः झारखंड भवन उपविधि, 2016 के अधिसूचित होने की तिथि 5 अप्रैल, 2016 के पूर्व बिना स्वीकृति के निर्मित्त भवनों के नक्शों की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-07/न०वि०/अधि०/ससो०/102/2013-3263-- राज्य के शहरी निकायों/प्राधिकारों के नियंत्रण क्षेत्र में ऐसा पाया गया है कि कुछ भवनों के निर्माण के पूर्व किसी सक्षम प्राधिकार से नक्शे की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है । इस प्रकार के निर्माण से संबंधित भवनों के अधिवासी को पर्यावरण संबंधित समस्या के साथ-साथ जानमाल का खतरा भी बना रहता है तथा निकाय/ प्राधिकार को राजस्व की हानि के साथ-साथ नगरीय आधारभूत संरचना के अधिष्ठापन में समस्या आती है ।

2. उपरोक्त विषयों को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं:-

2.1 इसके अलावा, झारखंड भवन उपविधि, 2016 के अधिसूचित होने की तिथि दिनांक 5 अप्रैल, 2016 के पूर्व निर्मित्त वैसे भवन, जिनके निर्माण के पूर्व किसी सक्षम प्राधिकार से तत्संबंधी नक्शे स्वीकृत नहीं कराए गए हैं, की घटनोत्तर स्वीकृति, तत्समय संबंधित प्राधिकार में प्रवृत भवन उपविधि के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक दिए जा सकेंगे ।

2.2 इस प्रावधान के तहत् झारखंड भवन (संशोधन) उपविधि, 2017 की अधिसूचना की तिथि 15 मई, 2017 से छः (06) महीने की अवधि तक, सभी वांछित कागजातों के साथ आवेदन स्वीकार किए जा सकेंगे तथा उनका नियमानुसार निष्पादन दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक किया जाना अनिवार्य होगा ।

2.3 सभी शहरी स्थानीय निकायों/प्राधिकारों के अन्तर्गत कार्यरत पदाधिकारियों एवं संबद्ध कर्मचारियों पर यह दायित्व होगा कि भवन उपविधि के तहत् स्वीकृति प्राप्त किए बिना उनके अधीनस्थ क्षेत्र में भवनों का निर्माण न हो । इसका उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में संबंधित दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

3. उक्त पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 9 मई, 2017 में मद संख्या-03 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजेश कुमार शर्मा,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 338--50